



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाइन: 15100/9928900900
ई-मेल: rsjsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

क्रमांक F4(263)/रालसा/विशेष-सचिव/एनएलए-3/2026/21291-21334 दिनांक: 12-08-2026

प्रेषक-

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रेषित-

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषय-दिनांक 12.09.2026 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि समस्त राजस्थान में दिनांक 12.09.2026 (द्वितीय शनिवार) को वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया व पद्धति (Mode & Method for National Lok Adalat) के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश (Detailed Guideline) पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप अपने न्यायक्षेत्र में 12.09.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा के अनुमोदन से जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

सादर।

भवदीय

संलग्न : विस्तृत दिशा-निर्देश

12/8/2026
सदस्य सचिव

क्रमांक F4(263)/रालसा/विशेष-सचिव/एनएलए-3/2026/21335-21340 दिनांक: 12-08-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

1. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, समस्त राजस्थान।
2. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, समस्त राजस्थान।
3. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, समस्त राजस्थान।
4. न्यायाधीश, श्रम एवं औद्योगिक अधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, समस्त राजस्थान।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।

विशेष सचिव
(मीडियेशन एवं आर्बीट्रेशन)



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष: 0141-2227481 फ़ैक्स: 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईन: 15100/9928900900

ई-मेल: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाइट: <https://rajasthan.nalsa.gov.in>

दिनांक : 12.08.2026

दिशा निर्देश – Guideline

राष्ट्रीय लोक अदालत – 12.09.2026

1. माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन माध्यम से) आयोजन गत बार की भांति निम्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकारियों/आयोगों/मंचों/अन्य अर्द्धन्यायिक कार्यवाहियों की सुनवाई करने वाले प्राधिकारियों में आयोजित किया जाना है :

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
3. समस्त अधीनस्थ न्यायालय (पारिवारिक न्यायालयों एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों सहित)
4. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
5. राजस्थान रियल एस्टेट अपील ट्रिब्यूनल (REAT), जयपुर
6. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
7. राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर
8. राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर
9. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
10. ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर
11. राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण
12. राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण
13. राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण
14. अपीलीय अधिकरण-जयपुर विकास प्राधिकरण
15. लैंड एक्वीजीशन रि-हेबीलीटेशन एण्ड रि-सैटलमेंट अथॉरिटी (LARRA), जयपुर
16. राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल, जयपुर
17. रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जयपुर
18. राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर
19. राजस्व मंडल, अजमेर
20. समस्त राजस्व न्यायालय (सम्भागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक/समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक/समस्त राजस्व अपीलीय प्राधिकारी/समस्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर के न्यायालयों सहित)
21. समस्त स्थायी लोक अदालतें
22. समस्त वाणिज्यिक न्यायालय
23. समस्त श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण
24. श्रम आयुक्त/उपायुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी एवं श्रम विभाग के अन्य अधिकारी/प्राधिकारी
25. अन्य समस्त ऐसे प्राधिकारी/अधिकरण/मंच/आयुक्त, आदि जो कि अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के तहत अपील, निगरानी अथवा निर्देश, आदि की सुनवाई करने में सक्षम हैं।

2. राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया एवं प्रणाली

(Procedure & Method for Conducting National Lok Adalat):-

A. प्रकरण जो ऑनलाईन/ऑफलाईन राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु चिन्हित किए जा सकते हैं (Cases which may be identified for Online/Offline National Lok Adalat) :-

माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने पत्र क्रमांक L/34/2018/NALSA दिनांक 04.12.2025 से राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों की विषय-वस्तु के संबंध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश जारी किए हैं-

(a) Pre-Litigation:

All type of Civil and Compoundable Criminal cases as permissible under the Act/Regulations may be taken up. The data and records of registration of cases be maintained by the DLSA/HCLSC or TLSC under the directions of SLSA.

The SLSA will make all endeavours to promote registration of pre-litigation cases and the service of notices through digital platforms/online modes, to ease pressure on the conventional system.

(b) Pending in the Courts:

- All type of civil and compoundable criminal cases, including the following:
- i. Criminal Compoundable Offences,
 - ii. Plea Bargaining Cases,
 - iii. NI Act cases under Section 138,
 - iv. Bank Recovery cases,
 - v. Motor Accident Claim cases,
 - vi. Compoundable Traffic Challans,
 - vii. Labour dispute cases,
 - viii. Disputes related to Public Utility services such as Electricity & Water Bills cases etc. (excluding non-compoundable),
 - ix. Matrimonial disputes (except divorce)/ Family disputes,
 - x. Land Acquisition cases,
 - xi. Service matters including pension cases,
 - xii. Revenue and other ancillary matters, pending before High Court, District Courts and State/District/Taluka Authorities.
 - xiii. IPR matters/ Consumer matters/ also other matters pending before any other quasi-judicial authority,
 - xiv. Other civil cases (rent, easementary rights, injunction suits, specific performance suits etc.).

निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने पत्र क्रमांक L/34/2018/NALSA दिनांक 24.03.2026 से राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने वाले एवं निस्तारित प्रकरणों के डाटा संकलन हेतु रिवाईज्ड प्रोफार्मा प्रेषित किया गया है। जो कि निम्नानुसार है:-

S. No.	Categories	Pre-Litigation Cases			Pending Cases			Total Cases		
		Taken up	Disposed of	Settlement Amount	Taken up	Disposed of	Settlement Amount	Taken up	Disposed of	Settlement Amount
1	Criminal Compoundable Offences Including Offences Compounded by Executive Magistrates (e.g. breach of peace, etc.									
2	Plea Bargaining									
3	Negotiable Instruments Act Cases U/s 138									
4	Bank Recovery Cases									

5	Financial Matters (e.g. loan recovery, NPA Settlements)									
6	Succession Cases									
7	Motor Accident Claim Tribunal (MACT) Cases									
8	Traffic Challans under the motor Vehicles Act, including Virtual Courts/e-challans									
9	Service matters relating to pay, allowances and retirement benefits									
10	Labour Disputes									
11	Land Acquisition Cases									
12	Revenue Cases									
13	Disputes related to Electricity Bills (excluding non- compoundable									
14	Disputes related to Water Bills (excluding non- compoundable									
15	Disputes related to telephone bills (MTNL, BSNL etc.) (excluding non- compoundable cases)									
16	Permanent Lok Adalat Cases (Public Utility Services Matters)									
17	Matrimonial Disputes (other than divorce cases)									
18	Pre-Institution Court-referred Family Disputes (e.g. Pre-FIR Mediation, Matrimonial Disputes, Domestic Violence Act, etc.									
19	Pre-Institution Litigation in Commercial Matters under the Commercial Courts Act, 2015 and the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018									
20	Arbitration Cases									
21	Consumer Disputes									
22	Civil Cases (e.g. original suits, compromise matters, succession cases, etc.									

23	Other Cases Suitable for Mediation or Compounding (Kindly specify the category)									
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

अतः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमत की गई उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के तहत प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना प्रस्तावित है।

नोट:-

- केवल उपरोक्त प्रकृति के लम्बित प्रकरण ही राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावेंगे।
- राजस्थान सरकार/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम एवं नागरिक के मध्य लम्बित मामलों में राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के हर संभव प्रयास किये जावेंगे।
- संबंधित सरकारी विभाग/उपक्रम के सक्षम एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्री-काउंसलिंग बैठकों में भाग लिया जाना अनिवार्य होगा तथा ऐसे अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व नोडल अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर) का होगा।
- निजी मामलों में स्वयं पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग बैठकों में ऑनलाईन/ऑफलाईन उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के हरसंभव प्रयास किये जावेंगे।
- उपरोक्त प्रकरणों में मूल प्रकरणों के साथ-साथ अपील/निगरानी (Revision)/पुनरावलोकन याचिकाएं (Review Petitions) भी सम्मिलित होंगी।

B. लंबित प्रकरण, निम्न प्रकार से चिन्हित किए जा सकते हैं
(Pending cases, may be identified in following manner):-

- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में स्वयं न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी का यह मत हो कि पक्षकारों में राजीनामा होने की संभावना है।
- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में कोई भी एक पक्षकार आवेदन करें।
- ऐसे प्रकरण, जिनके बारे में दोनों पक्षकारों/अधिवक्तागण ने आवेदन किया हो।

C. लम्बित प्रकरणों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया
(Process of identification of pending matters):-

- पक्षकार/अधिवक्ता संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में प्रार्थना पत्र पेश करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पक्षकार/अधिवक्ता संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल नम्बर पर कॉल करके अथवा रालसा की वेबसाईट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> पर उपलब्ध लिंक में आवेदन कर सकते हैं।
- लम्बित प्रकरणों के लिए न्यायालय में उपयोग में लाए जा रहे CIS में दर्ज प्रकरणों को संबंधित न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के कार्मिक द्वारा CIS के लोक अदालत मॉड्यूल पर चिन्हित कर रैफर किया जा सकेगा।
- कोई पक्षकार/अधिवक्ता अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु रालसा की मोबाईल एप ‘न्याय-रो-साथी’ को रालसा की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> से इंस्टॉल करके उस पर भी रिक्वेस्ट डाल सकता है।

नोट: प्रत्येक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर रालसा की मोबाईल एप 'न्याय-रो-साथी' के डैश बोर्ड को एक्सेस कर उस पर अपना यूजर नेम व पासवर्ड डालकर, प्राप्त होने वाली रिक्वेस्ट को प्रतिदिन कार्यालय छोड़ने से पूर्व संबंधित न्यायालय को फॉरवर्ड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

D. लंबित प्रकरणों के संबंध में पक्षकारान् को ऑनलाइन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना

(Affording opportunity of hearing to the parties through Online Process):-

1. ऐसे प्रकरण, जिन्हें संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा स्वतः चिन्हित किया गया हो, उन सभी प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए जाने के संबंध में दोनों पक्षकारों/उनके अधिवक्तागण को सुनवाई का अवसर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक, ई-मेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके प्रदान किया जा सकेगा।
2. ऐसे प्रकरण, जिनमें बैंक/बीमा कम्पनी या एक पक्ष द्वारा आवेदन किया गया हो, उन सभी प्रकरणों में विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक, ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके प्रदान किया जा सकेगा।

E. लंबित प्रकरणों के चिन्हीकरण/सुलह वार्ता बाबत अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश (Other necessary guidelines about identification of/counselling in pending matters):-

1. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा दिनांक 12.08.2026 से प्रतिदिन सुनवाई के लिए नियत सिविल प्रकृति के मूल वाद/अपील/इजराय/निगरानी/पुनरावलोकन याचिका को लोक अदालत में रैफर करने हेतु चिन्हित करते समय, विशेष ध्यान रखते हुए बंटवारे के वाद/अपील/इजराय, धन वसूली के वाद/अपील/इजराय, मध्यस्थता अवॉर्ड की इजराय, विनिर्दिष्ट अनुपालना के वाद/अपील/इजराय, स्थायी निषेधाज्ञा के वाद/अपील/इजराय, किरायेदार-मकान मालिक के मध्य उद्भूत वाद/अपील/इजराय एवं वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) से संबंधित वाद/अपील/इजराय (निगरानी एवं पुनरावलोकन याचिका सहित) को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाकर, उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों में सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, अपने स्तर पर प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।
2. इसी प्रकार से समस्त राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण धारा 85/316 भा.ना.सु.सं. (धारा 498ए/406 भादं.सं.) से संबंधित प्रकरणों, धारा 144/144(3) भा.ना.सु.सं. (धारा 125/125(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता) के प्रकरणों एवं घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों सहित) आवश्यक रूप से लोक अदालत में रैफर किए जाने हेतु चिन्हित किए जाकर, उपरोक्त प्रकरणों में सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।
3. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित मूल फौजदारी प्रकरण, अपीलें एवं निगरानी याचिकाएं, जिनमें चैक राशि रुपये 10.00 लाख तक की है, को भी आवश्यक रूप से, सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर प्रभावी प्री-काउंसलिंग करवाते हुए लोक

अदालत हेतु रैफर किया जाएगा एवं **रूपये 2.00 लाख** तक की चैक राशि के मामलों को राजीनामे/सुलहवार्ता के माध्यम से निस्तारित किए जाने के विशेष प्रयास किए जाएंगे।

4. **दिनांक 12.08.2026 से 11.09.2026 तक** सुनवाई हेतु नियत प्रकरणों में से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा राजीनामा योग्य समस्त प्रकरणों को **एक दिन पूर्व** चिन्हित किया जाकर ऐसे चिन्हित प्रकरणों की अधिकृत स्टाफ के माध्यम से एक कॉज लिस्ट **(नियमित कॉज लिस्ट से पृथक)** सुलह वार्ता (Pre-Counselling) कराने हेतु तैयार करवाई जावेगी तथा ऐसे चिन्हित प्रकरणों की पत्रावलियां भी पृथक से रखी जावेगी।
5. ऐसे चिन्हित प्रकरणों में पक्षकार/अधिवक्तागण को प्री-काउंसलिंग की दिनांक व समय की सूचना कॉज लिस्ट तैयार किये जाते समय ही व्यक्तिशः/ई-मेल/व्हाट्सएप-टैक्स्ट मैसेज/मोबाईल फोन पर सम्पर्क करके अथवा **CIS** के माध्यम से आवश्यक रूप से दी जावेगी।
6. ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही प्रकार की प्री-काउंसलिंग संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के कक्ष में करवाई जावेगी। यदि ऐसा करवा पाना संभव नहीं हो तो संबंधित पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अधिकृत अन्य किसी उचित स्थान पर करवाई जा सकेगी।
7. यदि पक्षकारान् की अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से प्री-काउंसलिंग कराया जाना संभव ना हो या सुलह वार्ता में पक्षकारान् के मध्य समझौता नहीं होता है तो वह मामला प्री-काउंसलिंग के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को उसी दिन भिजवाया जावेगा।
8. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा पक्षकारान् को **(यदि पक्षकारान् उस दिन व्यक्तिशः उपस्थित हों तो)** प्री-काउंसलिंग के लिए आगामी तिथि के बारे में व्यक्तिशः सूचित करते हुए, अन्यथा **(यदि पक्षकारान् उस दिन व्यक्तिशः उपस्थित ना हों तो)** उभय पक्ष को ई-माध्यम या जरिए नोटिस सूचित करते हुए ऐसे प्रत्येक मामले में यथाशीघ्र परिस्थिति अनुसार, ऑफलाईन या ऑनलाईन माध्यम से आवश्यक रूप से प्री-काउंसलिंग करवाई जावेगी।
9. ऑफलाईन प्री-काउंसलिंग (Offline Pre-Counselling) की दशा में पक्षकारान् संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहेंगे।
10. ऑनलाईन सुलह वार्ता के लिए All-in-One Computer/Laptop/I-Pad/ Smartphone का उपयोग किया जा सकेगा।
11. ई-माध्यम से ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग करवाए जाने की स्थिति में पक्षकारान् के मध्य समझौता होने पर पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, की ओर से नियुक्त काउंसलर के द्वारा तदनुसार राजीनामा टाईप कराया जाकर उक्त राजीनामा PDF Form में अथवा Scanned Copy, पक्षकारों या/एवं अधिवक्तागण को ई-मेल या Whatsapp द्वारा भिजवाया जावेगा। पक्षकारान् उक्त प्रति का प्रिन्ट निकलवाकर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् पुनः संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को जरिये ई-मेल या Whatsapp भिजवायेगें।
12. ऑनलाईन प्री-काउंसलिंग के दौरान स्वयं के स्तर पर राजीनामा टाईप कराने हेतु सहमत होने की स्थिति में पक्षकारान् द्वारा भी राजीनामा टाईप एवं परस्पर

हस्ताक्षरित कर संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को जरिए ई-मेल/व्हाट्सएप से भिजवा सकेंगे।

13. ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग की स्थिति में पक्षकारान् अथवा उनके अधिवक्तागण को हस्ताक्षरित मूल राजीनामा (Original Hard copy) (बिन्दु संख्या 11 व 12 में वर्णित) आवश्यक रूप से **लोक अदालत के आयोजन की दिनांक से एक दिवस पूर्व तक** सम्बन्धित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को प्रेषित करना होगा। संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पक्षकारान्/अधिवक्तागण की ओर से भेजे गये राजीनामा के सम्बन्ध में पक्षकारान्/अधिवक्तागण से ऑनलाइन वार्ता करके राजीनामा हो जाने के तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात् पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष सूचीबद्ध की जायेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाईन या ऑफलाईन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
14. ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान यदि पक्षकारान् व उनके अधिवक्तागण संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, को यह निवेदन करते हैं कि वे अपनी सुविधानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की **दिनांक 12.09.2026** से पूर्व किसी भी दिन न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष उपस्थित होकर ही राजीनामा पर भौतिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे और तब संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, पक्षकारान् के उपस्थित आने पर ऑनलाइन प्री-काउंसलिंग के दौरान तय शर्तों के अनुरूप राजीनामा पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर करायेगा और तत्पश्चात् पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाईन या ऑफलाईन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
15. ऑफलाईन प्री-काउंसलिंग के समय पक्षकारान् के मध्य समझौता होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, के पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/काउंसलर द्वारा उसी समय राजीनामा टाईप कराया जाकर पत्रावली मय राजीनामा राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच के समक्ष सूचीबद्ध की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच द्वारा ऐसा राजीनामा ऑनलाईन या ऑफलाईन, जैसा भी संभव हो, तस्दीक किया जाकर संबंधित प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा।
16. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT), राजस्व मंडल अजमेर, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग एवं अन्य ऐसे न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी, जिनमें एक से अधिक बैंच गठित की जानी है, में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए जाने के लिए चिन्हित किए गए प्रत्येक राजीनामा योग्य प्रकरण में उपरोक्त प्रक्रियानुसार ही **दिनांक 12.08.2026** से प्री-काउंसलिंग आवश्यक रूप से करवाई जावेगी।

17. उक्तानुसार Pre-Counselling के लिए प्रकरण इस प्रकार विचार में लिया जाना उचित रहेगा, जिससे संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी का नियमित कार्य बाधित ना हो।

F. राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश

(Other necessary instructions regarding preparation of National Lok Adalat) :-

1. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें कि अनुसंधान के स्तर पर ही राजीनामा हो चुका है एवं राजीनामा के आधार पर ही अंतिम प्रतिवेदन आना है, उनको संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा अविलम्ब न्यायालय में पेश कर दिया जावे। विशेष रूप से विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज फौजदारी प्रकरणों में यदि अभियुक्त द्वारा शमन राशि (Compounding Amount) जमा करा दी गई हो तो उनमें भी संबंधित अनुसंधान अधिकारी द्वारा अविलम्ब अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश कर दिया जावे। यदि ऐसे मामलों में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हो तो उनमें भी अभियुक्त को शमन राशि (Compounding Amount) जमा कराने हेतु प्रेरित करते हुए शमन राशि (Compounding Amount) जमा करा देने पर शमन (Compound) कराया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।
2. संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति/संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपराध अंतर्गत धारा 303 भा.ना.सु.सं. (379 भादंस्) सपठित धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट से संबंधित ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी क्रिमीनल मिसलेनियस (पिटिशन) संख्या 1161/2020 जितेन्द्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरणों में दिनांक 01.12.2021 को पारित किए गए निर्णय में दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना कर दी गई है, के शमन (Compound) के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए प्रकरण दाखिल दफ्तर कर दिया जावे।
3. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि धारा 126/135/170 भा.ना. सु.सं. (धारा 107/116/151 दण्ड प्रक्रिया संहिता) संबंधी मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मीठया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 1987(1) डब्ल्यू.एल.एन. 343 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना की जावे तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के प्रकाश में विपक्षी को नोटिस जारी करने की दिनांक के उपरान्त यदि 06 माह की अवधि व्यतीत हो गई हो तो ऐसे मामलों में कार्यवाही समाप्त की जाकर प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जावे।
4. समस्त राजस्व न्यायालय/राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रकार के निषेधाज्ञा, घोषणा, सीमाज्ञान (पैमाइश), पत्थरगद्दी, नामान्तरण, राजस्व अभिलेख में सुधार, पैमाइश, डिविजन ऑफ हॉल्लिडिंग एवं रास्ते के विवाद से संबंधित सभी राजस्व मामलों में सुविधानुसार ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम से, अपने स्तर पर प्रभावी प्री-काउंसलिंग करने के उपरान्त राजीनामा की संभावना वाले प्रत्येक मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया जावे।
5. समस्त सिविल न्यायालय/राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पैरा संख्या 4A में वर्णित प्रकृति के लम्बित प्रत्येक मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किया जा रहा है तथा जिन मामलों को राष्ट्रीय

लोक अदालत में रैफर नहीं किया जा रहा है उन मामलों की पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 एवं आदेश 10 नियम 1A, 1B & 1C में विहित प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **M/s Afcons Infrastructure Ltd. & Anr. Vs. Cherian Varkey Construction Co. (P) Ltd. & Ors. 2010 (8) SCC 24** में अभिनिर्धारित की गई विधिक स्थिति के अनुसार ऐसे मामलों को 'वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था' के तहत रैफर नहीं किए जाने के संक्षिप्त कारण (Brief reasons) अभिलिखित कर दिये गये हैं।

नोट:- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों की कठोरतापूर्वक पालना की गई है तथा संबंधित कोई भी प्रकरण प्री-काउंसलिंग एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने से नहीं छूटा है।

G. प्री-लिटिगेशन श्रेणी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्रों को हर सूरत में ऑफलाइन या ऑनलाइन आवश्यक रूप से पंजीकृत किया जावेगा एवं विवाद का समझौते के माध्यम से निस्तारण होने पर आवश्यक रूप से अवार्ड पारित किया जावेगा तथा इसका डाटा भी संधारित किया जावेगा।

H. प्री-लिटिगेशन श्रेणी के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्रों में विरोधी पक्षकार को ऑनलाइन सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना

(Affording opportunity of hearing to the opposite party through Online Process in the category of applications for Pre-Litigation):-

प्री-लिटिगेशन श्रेणी के सभी प्रकरणों में विरोधी पक्षकार को सुनवाई का अवसर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में बुलाकर प्रदान किये जाने के साथ-साथ ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाईल पर कॉल करके या विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया जा सकेगा।

I. प्री-लिटिगेशन मामलों में ऑनलाइन/ऑफलाइन सुलह वार्ता
(Online/Offline Pre-Counselling in Pre-Litigation Matters) :-

1. प्री-लिटिगेशन मामलों में बैंक/विभाग/पक्षकार द्वारा प्री-लिटिगेशन का प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में यथास्थिति (as the case may be), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति के समक्ष ऑनलाइन/ऑफलाइन पेश किया जा सकेगा, जिनके द्वारा (राजस्व विवाद, उपभोक्ता-विक्रेता संबंधी विवाद एवं ऐसे राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण/विवाद, जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/ बोर्ड/ मंचों/ अथॉरिटी/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, को छोड़कर) ऐसे प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में विरोधी पक्षकार को नोटिस जारी कर प्री-काउंसलिंग करवाई जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया जावेगा। इसके लिए ऊपर बिन्दू (E) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होगी।
2. राजस्व विवाद, उपभोक्ता-विक्रेता संबंधी विवाद एवं ऐसे राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण/विवाद, जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/बोर्ड/मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, के प्री-लिटिगेशन मामलों में किसी पक्षकार की ओर से प्री-लिटिगेशन का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, यथास्थिति (as the case may be), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा उसे अपने यहां विधिवत् दर्ज रजिस्टर, आदि की कार्यवाही करने के उपरान्त, ऐसे प्रार्थना-पत्र को संबंधित राजस्व न्यायालय/अधिकरण/आयोग/मंच/अथॉरिटी/प्राधिकारी को प्री-काउंसलिंग के लिए प्रेषित किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही उनके द्वारा ही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए भी ऊपर बिन्दू (E) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ

(Mutatis Mutandis) लागू होगी। प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही अमल में लाए जाने के उपरान्त उनके द्वारा राजीनामे/प्री-काउंसलिंग के नतीजे के साथ ऐसे मामले यथास्थिति (as the case may be), सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति को वापस लौटाए जाएंगे, जिनके द्वारा तदनुसार ऐसे मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नोट:- प्री-काउंसलिंग के लिए काउंसलर की सेवाएं, यदि आवश्यकता हो तो, सम्बन्धित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति से प्राप्त की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण:- उपरोक्त बिन्दु संख्या-02 पर वर्णित प्री-लिटिगेशन मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अमल में लाया जाना आवश्यक नहीं होगा।

3. प्री-लिटिगेशन मामलों में प्रार्थना-पत्र पेश किए जाने की **अंतिम तिथि 03.09.2026** होगी।
4. प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को ऑनलाईन माध्यमों से अधिवक्ता, संस्था अथवा पक्षकार द्वारा रजिस्टर किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्री-काउंसलिंग के Notices जरिए E-mail/Text messages/WhatsApp messages, आदि Digital माध्यमों से पक्षकारान् को प्रेषित किए जाएंगे। ऐसे मामलों में प्री-काउंसलिंग की कार्यवाही के लिए ऊपर बिन्दू (E) के उपबिन्दु (13) में वर्णित प्रक्रिया ही आवश्यक उपान्तरों के साथ (Mutatis Mutandis) लागू होगी।

J. चिन्हित प्रकरणों की सूचना

(Forwarding information regarding identified matters):-

समस्त चिन्हित प्रकरणों की सूचना संबंधित न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी द्वारा संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विभिन्न चरणों में क्रमशः प्रथम चरण—**दिनांक 24.08.2026 को एवं द्वितीय/अंतिम चरण—दिनांक 03.09.2026** को सम्प्रेषित की जाएगी और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रालसा को आगामी दिवस पर प्रेषित की जाएगी।

K. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु डोर-स्टेप काउंसलिंग

(Door-step counselling for National Lok Adalat) :-

1. राजीनामा योग्य दीवानी, राजस्व, फौजदारी मामलों एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के निजी पक्षकारान् के मध्य लंबित मामलों तथा सभी प्रकार के प्री-लिटिगेशन मामलों (**बैंक एवं वित्तीय संस्थान के मामलों के अलावा**) में डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प निम्न प्रकार आवश्यक रूप से आयोजित किये जावेंगे:-
 - प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर **दिनांक 24.08.2026** को (संबंधित पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालयों में लम्बित एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए)
 - प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, जो तहसील या उप-तहसील मुख्यालय भी है, पर **दिनांक 25.08.2026** को (संबंधित पंचायत मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में लम्बित एवं उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए)

नोट:-

1. उक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन श्रेणी के सभी प्रकार के प्रकरण/विवाद भी सम्मिलित किये जावेंगे

तथा सभी संबंधित विभागों/उपक्रमों के सक्षम/अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी कैम्प में उपस्थित रहेंगे।

2. उक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प की अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष या आवश्यकतानुसार स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रो-बोनो या आवश्यकता होने पर कुशल पैनल अधिवक्ता/प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा की जावेगी।
 3. संबंधित डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में सदस्य के रूप में स्थानीय निर्वाचित जन-प्रतिनिधिगण/सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी-कर्मचारी/प्रतिष्ठित व्यक्ति/सामाजिक कार्यकर्ता (आवश्यकतानुसार) यथासंभव प्रो-बोनो भाग लेंगे।
 4. संबंधित डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में क्षेत्राधिकार वाले नगर निगम मजिस्ट्रेट/मोबाईल मजिस्ट्रेट/ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी प्रो-बोनो भाग लेंगे।
 5. डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में स्थानीय कॉलेज छात्रों/अधिकतम 02 पीएलवी को समन्वय के लिए (केवल न्यूनतम 50 प्रकरण चिन्हित होने पर ही एक पीएलवी) उपस्थित रखे जा सकेंगे।
 6. उपयुक्त आयोजन स्थल का चयन संबंधित तालुका अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा।
 7. उक्तानुसार डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जाते समय एक मैगा विधिक जागरूकता/चेतना शिविर भी (पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के तहत) आवश्यक रूप से आयोजित किया जावेगा।
 8. डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पस को सफल बनाने के लिए यथासंभव राजकीय वाहनों/मोबाईल वैन का उपयोग किया जा सकेगा। अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता होने पर नियमानुसार किराये पर वाहन आहरित किये जा सकेंगे।
-
2. उक्तानुसार डोर-स्टेप काउंसलिंग के लिए सिविल एवं राजस्व मामले, विशेषतया, यथा; चल एवं अचल संपत्ति के बटवारे के प्रकरण/विवाद (जिनमें डिवीजन ऑफ रेवेन्यू होल्डिंग के मामले भी सम्मिलित हैं), स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण/विवाद, सुखाधिकार संबंधी प्रकरण/विवाद, रास्ते संबंधी प्रकरण/विवाद, राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि से संबंधित प्रकरण/विवाद, किरायेदार एवं मकान मालिक के मध्य प्रकरण/विवाद, धन वसूली के निजी पक्षकारान् के मध्य प्रकरण/विवाद, किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के प्रकरण/विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण हेतु) का चयन किया जा सकेगा। इसके साथ ही राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण एवं धारा 138 एनआई एक्ट के राशि रूपये 10.00 लाख तक की चैक राशि के निजी पक्षकारान् के मध्य विद्यमान विवादों/लम्बित प्रकरणों का चयन किया जा सकेगा।
 3. डोर-स्टेप काउंसलिंग के कैम्प में रखे जाने वाले प्रकरणों की एक सूची 07 दिवस पूर्व तैयार कर सभी संबंधित पक्षकारान् एवं हितधारकों को इसकी सूचना (Notice) ऑनलाईन या ऑफलाईन माध्यम, यथास्थिति; नजारत शाखा/राजस्व कर्मचारीगण/पीएलवी/पंचायत समिति/पंचायत के कर्मचारीगण/पुलिस की सहायता से की जा सकेगी।
 4. डोर-स्टेप काउंसलिंग हेतु रखे जाने वाले लम्बित दीवानी/राजस्व मामलों के लिए संबंधित प्रकरणों की पत्रावलियां या दावा/जबावदावा की प्रति एवं फौजदारी प्रकरणों के लिए सम्बन्धित प्रकरणों की पत्रावलियां या प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्र/परिवाद की प्रति संबंधित न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को ऐसे मामलों को चिन्हित किए जाते समय ही उपलब्ध करायी जावेगी।
 5. राजकीय विभागों/उपक्रमों के मुख्यालय पर एवं शासन सचिवालय में आयोजित किये जाने वाले डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में समझौता/सुलह वार्ता के लिए विभागीय पत्रावली का उपयोग किया जावेगा।
 6. डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प में भाग लेने वाले केवल पक्षकारान्/हितधारकों के लिए जलपान एवं काउंसलर हेतु लंच की व्यवस्था संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा गैर-सरकारी सामाजिक संगठन

(NGO)/स्थानीय क्षेत्र के भामाशाह/स्थानीय चैरिटेबल ट्रस्ट/सामाजिक संस्थान/पंचायत समिति/पंचायत/स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में भरपूर मितव्ययता बरतते हुए 4C फंड से व्यय किया जा सकेगा।

7. डोर-स्टेप काउंसलिंग को प्रभावी बनाने एवं कैम्प में सम्मिलित होने वाले सदस्यगण/काउंसलर्स के उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक सदस्य/काउंसलर को 01 से 50 प्रकरणों का निस्तारण किये जाने पर सहभागिता प्रमाण-पत्र, 51 से 100 प्रकरणों का निस्तारण किये जाने पर जिला/संभाग स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित कर सराहनीय कार्य प्रमाण-पत्र एवं 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किए जाने पर उत्कृष्ट प्रतिभागी का प्रमाण पत्र राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित कर प्रदान किया जाएगा।
8. डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति निम्नलिखित कैम्प भी डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्प के साथ आयोजित करेंगे:-
 1. मुफ्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच कैम्प
 2. ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा का आयोजन
 3. प्रशासन-गांवों के संग अभियान की तर्ज पर दैनिक समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासनिक कैम्प, जिसमें राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आदि बनवाने एवं अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही सम्पन्न हो सके।
 4. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान करने के लिए कैम्प का आयोजन
 5. कृषि विभाग द्वारा फसल बीमा योजना के प्रमोशन के लिए कैम्प का आयोजन
 6. प्रत्येक बैंकिंग/वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी ऋण वितरण योजना, बैंक खाते खोलने संबंधी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रमोशन के लिए तथा एकमुश्त समझौता योजना (One Time Settlement Scheme) के तहत बकाया राशि की वसूली के प्रोत्साहन के लिए कैम्प का आयोजन [कैम्प के आयोजन में सहयोग के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकतानुसार प्रो-बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी] ऐसे डोर-स्टेप काउंसलिंग कैम्पों में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रभावी भागीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड के रीजनल ऑफिस तथा SLBC/आयोजना विभाग/सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

L. राज्य सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम से संबंधित लम्बित मामलों के लिए विशेष काउंसलिंग कैम्प

(Special Counselling Camps for pending matters involving State Government or its any Department/ Undertaking):-

- किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के समक्ष लम्बित ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार या उसका कोई विभाग/उपक्रम पक्षकार है, उनके लिए संबंधित विभाग/उपक्रम के मुख्यालय पर दिनांक **24.08.2026 एवं 25.08.2026** को विशेष काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
- किसी भी न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी के समक्ष लम्बित ऐसे मामलों, जिनमें राज्य सरकार या उसका कोई विभाग/उपक्रम पक्षकारान् है तथा जो शासन सचिवालय के स्तर पर ही निस्तारित हो सकते हैं,

उनके लिए शासन सचिवालय में भी संबंधित विभाग द्वारा **दिनांक 01.09.2026 एवं 02.09.2026** को विशेष काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।

M. बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के मामलों में प्री-काउंसलिंग की विशेष प्रक्रिया

(Special Procedure for Pre-Counselling in matters pertaining to Banks and Financial Institutions):-

1. बैंकों एवं वित्तीय संस्थान के धन वसूली के लम्बित सिविल मामलों (सिविल वाद, इजराय, आर्बिट्रेशन अवार्ड की इजराय) एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों (**केवल रुपये 10.00 लाख तक की राशि के मामले**) के साथ-साथ इसी प्रकृति के प्री-लिटिगेशन श्रेणी के मामलों के लिए प्री-काउंसलिंग कैम्प जिला मुख्यालय पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एवं तालुका मुख्यालय पर अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा (संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के सक्षम प्रतिनिधि से विचार-विमर्श के उपरांत) **17.08.2026 से 21.08.2026 के मध्य तथा दिनांक 31.08.2026 से 01.09.2026** को संबंधित न्यायालय परिसर में स्थित किसी कक्ष में या बाहर खुले में कैनोपी, आदि लगाकर या उस शहर/कस्बे में अन्य उपयुक्त स्थान पर आयोजित किये जावेंगे तथा समस्त जरूरी व्यवस्थाएं (जलपान सहित) संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी।
2. उपरोक्तानुसार आयोजित किये जाने वाले प्री-काउंसलिंग कैम्प में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के सक्षम एवं अधिकृत कार्मिक न्यायालय विशेष में लम्बित या उस न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार के प्री-लिटिगेशन के मामलों से संबंधित बैंक का समस्त रिकॉर्ड साथ लेकर उपस्थित रहेंगे।

नोट:- ऐसे प्री-काउंसलिंग कैम्प के लिए प्री-लिटिगेशन मामलों में विपक्षी पर नोटिस की तामील संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा ही अपने स्तर पर करवायी जावेगी, संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नहीं करायी जावेगी। हालांकि संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नोटिस की तामील के लिए आवश्यकतानुसार जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), समझौता/सुलह वार्ता में सहयोग के लिए **स्थानीय जनप्रतिनिधियों** की आवश्यकतानुसार प्रो-बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी।
4. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प के लिए सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों में संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से प्रत्येक प्रकरण में One-Time Settlement Offer (अपनी पूर्व से प्रचलित एकमुश्त समझौता स्कीम के तहत) युक्तियुक्त समय पूर्व प्राप्त करेंगे और पक्षकारों को प्रेषित किये जाने वाले नोटिस में प्री-काउंसलिंग की दिनांक, समय एवं स्थान के साथ-साथ उक्त One-Time Settlement Offer की राशि भी आवश्यक रूप से अंकित की जावेगी।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान के नोडल/अधिकृत अधिकारी को उनसे संबंधित प्रकरणों में की जाने वाली प्री-काउंसलिंग की तारीख, समय एवं ऐसी प्री-काउंसलिंग में सूचीबद्ध किये जाने वाले प्रकरणों की सूची युक्तियुक्त समय पूर्व उपलब्ध करवा दी गई है एवं संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रकरण में One-Time Settlement Offer की राशि की सूचना मय कैलकुलेशन शीट उपलब्ध कराई जा चुकी है। संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उनकी ओर

से अधिकृत अधिकारी नियत समय पर जरूरी रिकॉर्ड के साथ प्री-काउंसलिंग हेतु कैम्प में उपस्थित रहे।

6. उपरोक्त प्री-काउंसलिंग कैम्प में संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रभावी भागीदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड के रीजनल ऑफिस तथा SLBC/आयोजना विभाग/सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

N. राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश

(Additional guidelines for optimum disposal of matters pending in Rajasthan State Consumer Dispute Redressal Commission and District Consumer Dispute Redressal Commissions):-

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को उपभोक्ता मामलों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाना प्रस्तावित है:-

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ बैठक आयोजित कर:-
 1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु विचार-विमर्श करेंगे;
 2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
 3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
 4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे;
 5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर-द्वितीय के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेशित किया जावेगा।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के साथ आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कर:-
 1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु विचार-विमर्श करेंगे;
 2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
 3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
 4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे;
 5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल माननीय अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेशित किया जावेगा।
- दिनांक 17.08.2026 से 21.08.2026 एवं दिनांक 31.08.2026 से 01.09.2026 के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) माननीय

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त राजस्थान के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।

O. राजस्व मण्डल, अजमेर/राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश

(Additional guidelines for optimum disposal of matters pending in Revenue Board, Ajmer and Rajasthan State Tax Board, Ajmer):-

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को राजस्व मण्डल, अजमेर एवं कर बोर्ड, अजमेर में लम्बित मामलों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाना प्रस्तावित है:-

- दिनांक 17.08.2026 से 21.08.2026 एवं दिनांक 31.08.2026 से 01.09.2026 के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) राजस्व मण्डल, अजमेर एवं राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के साथ बैठक आयोजित कर:-
 1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे;
 2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
 3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
 4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे;
 5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर एवं अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर/अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेशित किया जावेगा।

P. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/राजस्थान राज्य सूचना आयोग/राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण/रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल/अपीलीय अधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण/राजस्थान राज्य सहकारी अपीलीय अधिकरण/राजस्थान राज्य गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण/राजस्थान वक्फ अधिकरण/राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण/ऋण वसूली अधिकरण/भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिकरण/राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (REAT) जयपुर/राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर/औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय/श्रम आयुक्त/उप-श्रम आयुक्त के न्यायालय में लम्बित मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु अतिरिक्त दिशा-निर्देश

(Additional guidelines for optimum disposal of matters pending in CAT/RSIC/RCSAT/RCT/JDA Appellate Tribunal/RSCAT/RSNGEIT/RWT/RSTAT/DRT/LARRA/ REAT/RERA/Industrial Tribunal/Labour Court/Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner):-

संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपरोक्त अधिकरणों/आयोगों/न्यायालयों/प्राधिकारियों के न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के

सुलह एवं समझाईश के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाना प्रस्तावित है:-

- दिनांक 17.08.2026 से 21.08.2026 एवं दिनांक 31.08.2026 से 01.09.2026 के दौरान नियमित सुनवाई के उपरान्त (यथासंभव मध्याह्न पश्चात्) संबंधित अधिकरण/आयोग/न्यायालय/प्राधिकारी के परिसर में आवश्यकतानुसार प्री-काउंसलिंग कैम्प आयोजित किये जावेंगे।
- संबंधित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित अधिकरण/आयोग के सक्षम अधिकारी, संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं संबंधित प्राधिकारी के साथ आवश्यकतानुसार बैठक आयोजित कर:-
 1. अधिकाधिक प्रकरणों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किये जाने हेतु प्रेरित करेंगे;
 2. रैफर किये गये प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;
 3. रैफर किये गये प्रकरणों में समझाईश के लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की बतौर काउंसलर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे;
 4. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्रकरणों को रैफर किये जाने एवं प्री-काउंसलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए उपलब्ध ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे;
 5. कोई कठिनाई महसूस होने पर ऐसा मामला तत्काल संबंधित अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, संबंधित अधिकरण/आयोग/न्यायालय/प्राधिकारी के संज्ञान में लाते हुए रालसा को प्रेषित किया जावेगा।

Q. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रम/नियोजन संबंधी मामलों एवं मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामलों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु विशेष प्रयास (Focused endeavour towards optimum disposal of matters pertaining to Labour/Employment and Motor Accidental Claims involving RSRTC):-

मुख्य सचिव महोदया को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के श्रम/नियोजन संबंधी एवं मोटर दुर्घटना दावा संबंधी श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों/मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों/श्रम आयुक्त, उप-श्रम आयुक्त एवं अन्य प्राधिकारियों के यहां लम्बित प्रकरणों के सुलह एवं समझाईश के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण के संबंध में निम्न प्रकार अनुरोध किया जाना प्रस्तावित है:-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को श्रम एवं नियोजन संबंधी लम्बित मामलों का आपसी समझौते/सुलह के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) में आवश्यक नीतिगत निर्णय (Necessary Policy Decision) लिये जाने बाबत विचार करने हेतु निर्देशित किया जावे।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को मोटर दुर्घटना दावा संबंधी लम्बित मामलों का आपसी समझौते/सुलह के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के क्रम में रालसा द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों की पालना किये जाने के क्रम में अपने निदेशक मंडल (Board of Directors) में आवश्यक नीतिगत निर्णय (Necessary Policy Decision) लिये जाने बाबत विचार करने हेतु निर्देशित किया जावे।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को ऐसे मामलों की प्री-काउंसलिंग के दौरान संबंधित न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के

समक्ष निगम की ओर से अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया जावे।

R. राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैंच का गठन

(Constitution of Lok Adalat Benches) :-

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण हेतु बैंचों का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:-

A. जिस स्थान पर केवल एक ही सिविल न्यायालय स्थित है, चाहे वहां पर तालुका विधिक सेवा समिति का गठन हुआ है या नहीं हुआ है, वहां पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार वाली तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से केवल एक ही राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:-

न्यायिक अधिकारी—संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी/उस जिले में पदस्थापित अन्य कोई सेवारत न्यायिक अधिकारी

सदस्य—सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) या अधिवक्ता

B. **तालुका स्तर पर**, जहां पर एक से अधिक सिविल न्यायालय स्थित हैं, वहां पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के परामर्श से आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम 02 बैंचों का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा:-

(i) **सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए**

अध्यक्ष—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

सदस्य—अधिवक्ता

(ii) **सभी प्रकार के राजस्व मामलों के लिए**

न्यायिक अधिकारी—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

सदस्य—सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) या अधिवक्ता

C. यदि किसी उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर सिविल न्यायालय स्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालत की बैंच का गठन संबंधित राजस्व न्यायालय के परिसर में तब ही किया जा सकेगा जबकि न्यूनतम 25 प्रकरण उक्त राजस्व न्यायालय द्वारा चिन्हित किए गए हों। उक्त स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी एक सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को उक्त बैंच में 'न्यायिक अधिकारी' के रूप में सम्मिलित किया जाएगा एवं उक्त बैंच का सदस्य संबंधित मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय का कोई एक राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) रखा जावेगा। चिन्हित किए गए प्रकरणों की संख्या 25 से कम होने पर ऐसे प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत की निकटतम बैंच में (जिला कलक्टर के परामर्श से) रखे जा सकेंगे।

D. यदि किसी उपखण्ड/तहसील पर सिविल/फौजदारी न्यायालय स्थित है, लेकिन न्यायिक अधिकारी का पदस्थापन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उक्त तालुका पर स्थित सिविल, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालय के प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालत की बैंच का गठन संबंधित राजस्व न्यायालय के

परिसर में किया जा सकेगा। उक्त स्थिति में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी एक सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को उक्त बैंच में 'न्यायिक अधिकारी' के रूप में सम्मिलित किया जाएगा एवं उक्त बैंच का सदस्य संबंधित उप-खण्ड/तहसील मुख्यालय पर स्थित राजस्व न्यायालय का कोई एक राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से) को रखा जावेगा।

- E. जिला मुख्यालय पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **(दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों के लिए)** राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंचों का आवश्यकतानुसार गठन निम्न प्रकार किया जाएगा—
- (i) **सभी प्रकार के दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए**
 अध्यक्ष—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
 सदस्य—अधिवक्ता
 - (ii) **सभी प्रकार के राजस्व मामलों के लिए**
 न्यायिक अधिकारी—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
 सदस्य—सेवारत/सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी (जिला कलक्टर के परामर्श से)

विशेष टिप्पणी:— जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुख्यालय पर (दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों के लिए) गठित की जाने वाली बैंचों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार होगी:—

क्र.सं.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	बैंचों की अधिकतम संख्या
1.	जयपुर महानगर—प्रथम	15
2.	जयपुर महानगर—द्वितीय	15
3.	जोधपुर महानगर	08
4.	कोटा	08
5.	अजमेर	08
6.	उदयपुर	08
7.	बीकानेर	08
8.	भरतपुर	08
9.	अलवर	07
10.	भीलवाड़ा	03
11.	श्रीगंगानगर	04
12.	जयपुर जिला	03
13.	पाली	03
14.	चित्तौड़गढ़	03
15.	बूंदी	03
16.	सीकर	03
17.	धौलपुर	03
18.	बारां	03
19.	हनुमानगढ़	03
20.	झालावाड़	03
21.	झुंझुनू	03
22.	दौसा	03
23.	करौली	03
24.	प्रतापगढ़	03
25.	राजसमंद	03

26.	सवाई माधोपुर	03
27.	टोंक	03
28.	बांसवाड़ा	03
29.	डूंगरपुर	03
30.	चुरू	03
31.	जैसलमेर	03
32.	जालौर	03
33.	मेड़ता	03
34.	सिरोही	03
35.	बालोतरा	03
36.	जोधपुर जिला	03
37.	बाड़मेर	02
38.	ब्यावर	03
39.	डीग	02
40.	डीडवाना	02
41.	खैरथल	01
42.	कोटपूतली	02
43.	फलोदी	02
44.	सलूम्बर	02

F. अन्य अधिकरण/बोर्ड/न्यायालय/अधिकरण/मंच/आयोग/बोर्ड/अथॉरिटी/प्राधिकारी/आयोग हेतु :-

(i) राजस्थान राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग

(माननीय अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं/न्यायिक सदस्य/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—आयोग का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (उपभोक्ता मामलों का जानकार)

(ii) सभी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों एवं स्थायी लोक अदालत द्वारा रैफर किए गए प्रकरणों के लिए एक ही बैंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा—

अध्यक्ष—संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष (यदि न्यायिक सेवा से हो तो ही) अथवा स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष में से कोई एक सेवारत/सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/स्थायी लोक अदालत का सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (उपभोक्ता मामलों/स्थायी लोक अदालत के मामलों का जानकार)

(iii) राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्युनल (REAT) जयपुर एवं राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेट्री अथॉरिटी (RERA), जयपुर द्वारा रैफर किये गये मामलों के लिए केवल एक ही बैंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा—
[माननीय अध्यक्ष महोदय (REAT) के परामर्श से]

अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय (REAT) स्वयं/न्यायिक सदस्य (RERA)/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—अध्यक्ष/सदस्य (RERA)/विशेषज्ञ अधिवक्ता (रियल एस्टेट मामलों का जानकार)

(iv) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

(माननीय अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं/न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—अधिकरण का एक अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (सेवा मामलों का जानकार)

(v) रेलवे क्लेमस ट्रिब्यूनल, जयपुर

(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—संबंधित पीठासीन अधिकारी (यदि न्यायिक सेवा से हो तो ही)/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—ट्रिब्यूनल का अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

(vi) राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर

(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—न्यायिक अधिकारी सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—आयोग का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

(vii) राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर

(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—अधिकरण का अन्य सदस्य/विशेषज्ञ अधिवक्ता (सर्विस मामलों का जानकार)

(viii) राजस्व मंडल अजमेर में

(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

न्यायिक अधिकारी—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—मंडल का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (राजस्व मामलों का जानकार)

(ix) राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर में

(अध्यक्ष महोदय के परामर्श से)

न्यायिक अधिकारी—न्यायिक सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—बोर्ड का एक अन्य सदस्य/सेवारत—सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (कर मामलों का जानकार)

(x) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी

सदस्य—संबंधित पीठासीन अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

(xi) अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष—अधिकरण का पीठासीन अधिकारी/सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—विशेषज्ञ अधिवक्ता (जेडीए मामलों का जानकार)

- (xii) राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिकरण जयपुर, राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण जयपुर, राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल, जयपुर, लैंड एक्वीजीशन रि-हेबीलीटेशन एण्ड रि-सैटलमेंट अथॉरिटी (LARRA) जयपुर तथा राजस्थान राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण जयपुर के रैफर किए गए मामलों के लिए केवल एक ही बेंच का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:—

अध्यक्ष—संबंधित अधिकरणों के पीठासीन अधिकारीगण में से कोई एक पीठासीन अधिकारी

सदस्य—विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

- (xiii) श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा रैफर किए गए मामलों को संबंधित श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा रैफर किए गए मामलों के लिए गठित बेंच में ही रखा जावेगा। यदि किसी जिला मुख्यालय पर श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण स्थित नहीं है, वहां पर श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त द्वारा रैफर किए गए मामलों को संबंधित जिला मुख्यालय पर गठित अन्य बेंच में रखा जावेगा।

- (xiv) अन्य प्राधिकारी/अधिकरण/मंच/आयोग, आदि, जो कि अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही के तहत अपील, निगरानी अथवा निर्देश आदि की सुनवाई करने में सक्षम है, के यहाँ

(संबंधित पीठासीन अधिकारी महोदय के परामर्श से)

अध्यक्ष—सेवारत-सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर का न्यायिक अधिकारी

सदस्य—संबंधित पीठासीन अधिकारी स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत एक सेवारत-सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी/विशेषज्ञ अधिवक्ता (संबंधित मामलों का जानकार)

2. प्रत्येक बेंच के लिए आवश्यकतानुसार **अधिकतम 02** मंत्रालयिक कर्मचारी (**किसी भी स्तर के**) तथा 01 सहायक कर्मचारी की ही ड्यूटी लगायी जा सकेगी। यदि किसी बेंच में एक से अधिक न्यायालय की पत्रावलियां रखी जाती हैं तो दूसरे न्यायालय/फोरम से पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु संबंधित न्यायालय/फोरम से 01-01 कर्मचारी (**किसी भी स्तर के**) की ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
3. राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच के लिए All in one Computer/Laptop/I-pad/Smart Phone की उपलब्धता होना आवश्यक है।
4. बेंच के समक्ष **राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन के दिवस** को पक्षकारान्/अधिवक्तागण द्वारा ऑफलाइन राजीनामा भी पेश किया जा सकता है।

3. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश (Other Important Instructions) :—

- a. राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के ऐसे प्रकरण सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें विधि अनुसार डिक्री पारित नहीं हो सकती हो।
- b. प्री-लिटिगेशन के मामलों में राजीनामा सत्यापित करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि विधि विरुद्ध पंचाट या आदेश पारित न हो पाए।
- c. समस्त सिविल एवं फौजदारी न्यायालय/राजस्व न्यायालय/अधिकरण/मंच/अथॉरिटी/आयोग/अन्य प्राधिकारी, जैसे श्रम आयुक्त/उप-आयुक्त, आदि राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में आवश्यक जानकारी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक रूप से साझा करेंगे, जिसे जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण द्वारा अविलम्ब राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित किया जाएगा।

d. किसी भी प्रकार की कठिनाई महसूस होने पर:—

जिला स्तर पर:

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क स्थापित कर;
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाईन नम्बर पर टैक्स्ट/व्हाट्सअप मैसेज भेजकर; एवं
3. ईमेल आईडी पर संदेश भेजकर
(संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाईन नम्बर/ईमेल आईडी रालसा की वेबसाइट <https://rajasthan.nalsa.gov.in> पर Legal Aid Helpline Link पर उपलब्ध हैं)

प्रदेश स्तर पर:

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के **Toll Free Helpline Number 15100** या **Helpline Number : 9928900900** पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है या उपरोक्त मोबाईल नम्बरों पर टैक्स्ट/व्हाट्सअप मैसेज भेजा जा सकता है या रालसा की ई-मेल आईडी rslsajp@gmail.com पर भी संदेश भेजा जा सकता है।

- e. राष्ट्रीय लोक अदालत में बेहतर/उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले न्यायिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/राजस्व अधिकारी/विभाग प्रमुख/बैंक प्रमुख/बीमा कंपनी प्रमुख/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अधिकारी-कर्मचारी/नाबार्ड के अधिकारी-कर्मचारी/आयोजना विभाग-सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार के अधिकारी-कर्मचारी को समुचित स्तर पर सम्मानित करते हुए प्रशंसा पत्र जारी किए जावेंगे।

4. प्रचार-प्रसार (Publicity Measures):-

● राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर:—

प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में सरकार के स्तर पर फुल पेज विज्ञापन प्रकाशित कर, सार्वजनिक स्थान/सरकार द्वारा घोषित विज्ञापन साइट्स पर होर्डिंग्स के माध्यम से, जगह-जगह बैनर/पोस्टर के माध्यम से, राजकीय एल.सी.डी./दूरदर्शन एवं निजी टीवी चैनल्स पर विडियो प्रसारण के साथ-साथ बल्क मैसेजिंग, सभी राजकीय मोबाईल नम्बरों पर कॉलर ट्यून्स इंस्टाल करके, राजकीय वेबसाइट्स पर पॉप-अप बैनर प्रदर्शित करके, आकाशवाणी एवं निजी रेडियो चैनल्स पर ऑडियो प्रसारण के माध्यम से आमजन में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा।

● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर:—

1. राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय समाचार पत्रों/टीवी चैनल्स/आकाशवाणी/एफ.एम. चैनल्स की सेवाएं ली जा सकेंगी।
2. सभी राजकीय कार्यालयों/राजकीय उपक्रमों/बैंकों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर बैनर/पोस्टर, आदि (आवश्यकतानुसार एवं हरसंभव मितव्ययता बरतते हुए) प्रदर्शित किये जा सकेंगे।
3. पेशेवर लोगों (Professionals)/संगठनों के माध्यम से नियमानुसार मितव्ययी दरों पर रैलियाँ एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों के निपटारे के प्रति आकर्षण पैदा किए जाने का प्रयास किया जावेगा।
4. निजी वाहनों पर उचित दरों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण द्वारा/सफाई वाहनों पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के प्रसारण के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा सकेगा।

अति-आवश्यक निर्देश:-

समस्त अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों की बिना किसी चूक के कठोरतापूर्वक अक्षरशः पालना की जा रही है। साथ ही पालना की पुष्टि के लिए सुसंगत साक्ष्य (फोटोग्राफ्स, वीडियो क्लिप्स, आदि) उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित करेंगे।

अतः उपरोक्तानुसार दिनांक 12.09.2026 (द्वितीय शनिवार) को प्रातः 10.00 बजे से सांयकाल 05.00 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत (ऑनलाईन व ऑफलाईन) का आयोजन कर माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी उक्त विस्तृत दिशा-निर्देशों (Guidelines) की कठोरतापूर्वक पालना सुनिश्चित की जावे।



सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।